133

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1576—चार/2008 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 22—10—2008 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 345/अपील/2000—01.

.....

1—तेजबली सिंह
2—तीर्थराज सिंह पुत्रगण विश्वनाथ सिंह
निवासी ग्राम बिझोली गहर वरान
तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1—इन्द्रजीत सिंह तनय रघुवरसिंह मृत
वरिसान :—
1—द्वारिका सिंह 2—अम्बिका सिंह
3—चन्दनसिंह 4—सूर्यमणि सिंह
5—ब्रहम्ब देब सिंह पुत्रगण स्व0 इन्द्रजीत सिंह
निवासी ग्राम बिझोली गहर वरान
तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0
2—धर्मेन्द्र बहादुर सिंह तनय विश्वनाथ सिंह मृत
वरिसान :—
1—आशा देवी पत्नी स्व0 धमेन्द्र बहादुर सिंह
2—अंकित राहुल सिंह ना0वा0 सरपरस्त मां आशा देवी
3—शिवेन्द्र सिंह ना0वा0 सरपरस्त मां आशा देवी
निवासी ग्राम बिझोली गहर वरान
तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0
3—डिगनलाल सिंह तनय विश्वनाथ सिंह
निवासी ग्राम बिझोली गहर वरान
तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0

—— अनावेदकगण

.....

श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री रमाकांत पटेल, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 25-10-17 को पारित

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–10–2008 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 2 धर्मेन्द्र बहादुर सिंह ने नायव तहसीलदार खटखरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था कि ग्राम बिझौली सिति भूमि कमांक 974/3 रकवा 0.28 डि0 का बटनवारा नामांतरण पंजी कमांक 9 आदेश दिनांक 19.2.95 द्वारा अनावेदक कमांक 2 के नाम प्रमाणित है किन्तु पटवारी अभिलेख में सिफ 0.08 डि0 का इत्तला हैं 0.20 डि0 का इत्तला नहीं दर्ज हैं पटवारी अभिलेख में इत्तला दर्ज कराई जावे। विचारण न्यायालय द्वारा 6.1.97 को कर दी गई। इससे दुखित होकर तेजवली सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रत्यावर्तित विचारण न्यायालय को किया इसी से दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22.10.08 को अपील स्वीकार की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी हनुमना द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.01 का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार करने में विधिक भूल की है। अनुविभागीय अधिकारी हनुमना द्वारा जो कारण अपील स्वीकार करने का लेख किया है वह प्रकरण में उल्लिखित विषय वस्तु से भिन्न है,जो तथ्य विवादित थे जिनके वारे में अनुविभागीय

अधिकारी ने जांच कर निर्णय देने हेतु लेख किया था उस पर मौन होकर अपील स्वीकार कर ली गई है जो आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का यह कहना कि यदि कोई आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर होतो जब तक वरिष्ठ न्ययालय निरस्त न कर दें तब तक वह अस्तित्व में रहता है विधि सम्मत आदेश नहीं है। अवधिक आदेश हमेशा शून्यवत रहता हैं विधि की उपधारणा है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.2.97 विधि सम्मत नहीं था और क्षेत्राधिकार केबाहर था तो वह आदेश कानून की नजर में अवैध एवं शून्यवत है। उनका तर्क यह भी है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश एवं नायव तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.1.97 त्रुटि पूर्ण होने से तथा अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 22.10.08 निरस्त किया जावे, तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है तथा तर्क किया गया है कि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता। राजस्व न्यायालय को रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख अकृत करने की अधिकारिता नहीं है। उसे उस पर कार्यवाही करनी होती है, व्यथित पक्षकार सिविल न्यायालय में जा सकता है। 1993 म0प्र0 वीकली नोट्स 174 उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश विधि प्रावधानों से उचित है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की प्रस्तुत निगरानी निरस्त किया जावे।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदक इन्द्रजीत कमांक–1 ने विवादित आराजी नंबर 974/3ख को 25000/–रूपये में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.10.96 के द्वारा क्रय किया था तथा ग्राम पंचायत के द्वारा पंजी कमांक–5 में दिनांक 15.11.96 को नामांतरण कराया। चूंकि ग्राम पंचायत के द्वारा 0.28/0.13 है0 का नामांतरण किया गया था इसलिये राजस्व अभिलेख में

दिनांक 15.11.96 के अनुसार अभिलेख में इत्तिलायाबी दर्ज होनी चाहिये थी जो नहीं की गयी थी जिसे तहसीलदार ने जांच कर सुधार किया था, वह विधि सम्मत था। कोई भी आदेश किसी पीठासीन अधिकारी के द्वारा पारित हो जाता है तो वह भले ही क्षेत्राधिकार के बाहर हो जब तक उसे वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा निरस्त नहीं किया जाता तब तक उसका प्रभाव/अस्तित्व बना रहेगा। इसलिये राजस्व निरीक्षक का बटवारा आदेश स्थिर ही माना जावेगा । ग्राम पंचायत द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण किया गया है इसलिये नामांतरण को अवैध नहीं माना जा सकता। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता। राजस्व न्यायालय को रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख अकृत करने की अधिकारिता नहीं है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 22.10.08 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 345/अपील/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 22.10.08 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर